कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2288656 cehydelpcl@gmail.com फैक्स : 0522–2288655

पत्रांक–1179 –अ–7 / टी0जी0–2(वि0) / सीधी भर्ती / 2019 दिनांक : 06/09/2019

कार्यालय ज्ञाप

सचिव, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ के पत्रांक 1691 / विसेआ / 6–2015 / टी0जी0–2 दिनांक 17.08.2019 द्वारा विज्ञापन संख्या 6 / विसेआ / 2015 / टी0जी0–2 के अन्तर्गत चयनोपरान्त उपलब्ध कराए गए 01 अदद् टी0जी0–2 (प्र0) विद्युत अभ्यर्थियों को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में विभिन्न निगमों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध वेतन बैण्ड–1 में वेतनमान रू0 5200–20200 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 2600 (अन्य भत्ते उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में लागू नियमानुसार) तथा वर्णित सेवा में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–08 के अनुसार एतद्द्वारा नियुक्ति हेतु आवंटित किया जाता है:–

S. No	Roll No.	Name of Candidate	Father's Name	Category	D.O.B	Home District	Alloted Discom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11100271	SHRI IRFAN KHAN	SHRI IMAMI KHAN	OBC	01-07-1991	AGRA	MEERUT DISCOM

1. उपरोक्त अभ्यर्थी को खण्ड में टी0जी0–2 (प्रशिक्षु) विद्युत के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपने स्तर से अधीनस्थ खण्ड को आवश्यकतानुसार आवंटित किया जाएगा एवं सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा उनकी नियुक्ति यथासम्भव उनके गृह जनपद में इस प्रकार की जाएगी कि उनकी तैनाती उस उपखण्ड में न हो जहाँ पर उनका गृह स्थान स्थित है।

2. **प्रशिक्षण** :– उपरोक्तानुसार नियुक्ति के पश्चात् एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिया जायेगा जिसकी सूचना निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा सीधे टी0जी0–2 (प्रशिक्षु) के तैनाती इकाई (डिस्काम) से सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को दी जायेगी।

   उ0प्र0 पाकालि के आदेश सं0 689–काविनी एवं विनियम / पाकालि / 2018–13–विनियम / 2018 दिनांक 17.12.2018 के अनुपालन में "नव नियुक्त टी0जी0–।।(विद्युत) अभ्यर्थी को कारपोरेशन में प्रथमतः 01 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसमें से 01 माह का Classroom अभिविन्यास प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ तथा 11 माह का On Job प्रशिक्षण उनके तैनाती कार्यालयों में प्रदान किया जायेगा। टी0जी0–।।(विद्युत) से यह अपेक्षा होगी कि वह गम्भीरता एवं उत्साह से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

   भाग–एः जिसमें प्रशिक्षु द्वारा लिये गये Classroom प्रशिक्षण का मूल्यांकन होगा यह भाग 50 अंक का होगा।

   भाग–बीः जिसमें प्रशिक्षु द्वारा लिये गये On Job प्रशिक्षण का मूल्यांकन होगा यह भाग भी 50 अंक का होगा।

   प्रत्येक भाग में प्रशिक्षु को न्यूनतम 25 अंक और भाग–ए एवं भाग–बी को मिलाकर समग्रता में 100 अंक में से 60 अंक का अर्जन, उत्तीर्ण होने हेतु अनिवार्य होगा, तभी उनका प्रशिक्षण समाप्त कर नियमितीकरण का आदेश निर्गत किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षणोपरान्त ली गयी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण काल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा जिसके उपरान्त पुनः नियमितीकरण हेतु इसी प्रकार की प्रक्रिया दोहरायी जायेगी। पुनः अनुत्तीर्ण होने पर आगे प्रशिक्षण अवधि नही बढ़ायी जायेगी और ऐसे टी0जी0–।।(विद्युत), की नियुक्ति, उसको अनुपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत समाप्त कर दी जायेगी।"

.................2

3. सेवा विनियमावली की धारा 23 (1) के अनुसार इस प्रकार नियुक्त अभ्यर्थी कुल 2 वर्ष के परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रहेंगे एवं इन पर परिचालकीय कर्मचारी सेवा विनियमावली 1995 (यथा संशोधित) के अन्य समस्त प्राविधान एवं शर्ते लागू होगी।

4. डिस्काम को आवंटित टी0जी0–2 (प्रशिक्षु) विद्युत की वरिष्ठता (Seniority) उनकी तैनाती इकाई (डिस्काम) के सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक द्वारा विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली मेरिट लिस्ट के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

5. सचिव, विद्युत सेवा आयोग के पत्रांक पत्रांक 1691/विसेआ/6–2015/टी0जी0–2 दिनांक 17.08.2019 के अनुपालन में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व नियुक्ति अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि (1) आवेदन पत्र पर लगी फोटो, हस्ताक्षर, अँगूठा निशान, प्रवेश पत्र पर लगे फोटो, हस्ताक्षर अँगूठा निशान आदि आपस में मेल खाते हैं। (2) संगत सेवा विनियम में निहित प्राविधानों का अनुपालन तथा अभ्यर्थियों के अभिलेखों की मूल प्रमाण पत्रों से जॉच अपने स्तर पर कराना समीचीन होगा। (3) अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों की सम्बन्धित संस्था से प्रमाणिकता की जॉच नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या : /अ–7/तद्दिनांक/

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, मेरठ को उन्हें आवंटित अभ्यर्थी श्री **इरफान खान (अनुक्रमांक–11100271)** की विद्युत सेवा आयोग से प्राप्त समस्त अभिलेखों सहित 01 अदद मूल पत्रावली(फोल्डर) इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन खण्ड के अधिशासी अभियन्ता को उनके खण्ड में टी0जी0–2 (प्रशिक्षु) विद्युत के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध उक्त प्रस्तर–5 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये नियुक्ति पत्र यथाशीघ्र निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(अरूण कुमार)
वैयक्तिक सहायक–द्वितीय
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या /अ–7/तद्दिनांक/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु।

(अरूण कुमार)
वैयक्तिक सहायक–द्वितीय
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या 1179/अ–7/तद्दिनांक/06-9-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ को उनके पत्रांक 1691/विसेआ/6–20154/टी0जी0–2 दिनांक 17.08.2019 के संदर्भ में।
2. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह सूची को कारपोरेशन की वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

Kumar 06.09.19
(अरूण कुमार)
वैयक्तिक सहायक–द्वितीय
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)